उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति भोपाल

प्रतिष्ठान - ज्ञापन

कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल
दूरभाषः 0755–2492433, 2492460
ई–मेलः iehebhopal@mp.gov.in
वेबसाइटः www.iehe.ac.in

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति, भोपाल
का
प्रतिष्ठान–ज्ञापन

कण्डिका	विषय	पृष्ठ–क्रमांक
–	*संस्थान का परिचय*	01
–	*प्रतिष्ठान ज्ञापन*	02-04
1	परिभाषाएँ	05
2	सामान्य परिषद्	06-10
14	कार्यसमिति	11-14
17	संचालक	14
18	अकादमिक परिषद्	15-16
19	अध्ययन–मण्डल	17-18
20	वित्त समिति	18-19
21	अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड	19
22	संकाय	20
23	आवासीय संस्थान	20
24	वित्त व्यवस्था	20-22
25	समिति की संपत्ति	22
26	समिति की निधि	22
27	उपविधियाँ	23
29	विविध	24
	प्रमाण–पत्र	संलग्नक-**1**
	समिति का पंजीयन प्रमाण–पत्र	संलग्नक-**2**

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

परिचय

1. दिनांक 7 जून, 1995 को उच्च शिक्षा विभाग की शीर्ष स्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मा. श्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना शैक्षणिक सत्र 95–96 में की गई थी।

2. संस्थान की स्थापना के पीछे राज्य शासन की मंशा है कि यह संस्था प्रदेश में उच्च शिक्षा का एक ऐसा केन्द्र बन सके जिसमें प्रदेश के प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा साथ में यह संस्थान सारे प्रदेश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संदर्भ में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करे।

3. उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय विशिष्ट संस्था है तथा यह संस्थान प्रबंध, वित्त और अकादमिक मामलों में पूरी तरह स्वशासी है।

4. दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 तक यह संस्थान बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के प्रबंधाधीन था। दिनांक 9 अक्टूबर 1996 से इसके प्रबंध के लिए, अंतरिम व्यवस्था के रूप में, राज्य शासन ने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान निर्देशन समिति का गठन प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में किया था, जो दिनांक 6 अक्टूबर, 1998 तक कार्यरत रही। दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को इस संस्थान की प्रबंध व्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति भोपाल का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत किया गया है और अब यह संस्थान इसी समिति के प्रबंधाधीन है। इस समिति का प्रतिष्ठान ज्ञापन आगे के पृष्ठों पर है।

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति, भोपाल
का
प्रतिष्ठान – ज्ञापन

1. समिति का नाम **"उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान"** होगा।
2. समिति का पंजीयन कार्यालय भोपाल में होगा।
3. समिति की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः
   (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 1995–96 में स्थापित तथा शैक्षणिक सत्र 1996–97 से मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित निर्देशन समिति के नियंत्रण में संचालित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को अधिग्रहित करना एवं उसे एक स्वशासी संस्थान के रूप में संचालित करना।
   (ख) प्रतिभासंपन्न विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना तथा इनके अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, संगठित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, अखिल भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करना।
   (ग) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्वों के सार्थक निर्वाह के लिए प्रतिभाओं को निखारना, सँवारना एवं इसके निमित्त उन्हें समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
   (घ) उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संदर्भ में मानक एवं उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह कराना।
   (ङ) उन समस्त कार्यों को करना जिनसे उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

4. समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में विनियमों के अंतर्गत कार्यसमिति के द्वारा किया जाएगा।

समिति की सामान्य परिषद्, जो कि सर्वोच्च सभा है, के प्राथमिक सदस्यों की नामावली और पते निम्नलिखित हैं:

क्र.	नाम	पता	पद
1	मा. श्री बालेन्दु शुक्ल	मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	श्री पी.के. मेहरोत्रा *आई.ए.एस.*	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3	श्री ए.के. अग्रवाल *आई.ए.एस.*	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4	श्री शेखर दत्त *आई.ए.एस.*	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
5	श्री सुदीप बेनर्जी *आई.ए.एस.*	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
6	श्री सी.पी. भार्गव *आई.ए.एस.*	अपर सचिव एवं प्रभारी आयुक्त उच्च शिक्षा	सदस्य
7	डॉ. यू.एस. पाठक	संस्थान के संचालक	सदस्य–सचिव

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा–6 की उपधारा (3) के तहत समिति के प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ इस संस्थान के विनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं।

6. हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखें हैं, समिति का निर्माण उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार करने के इच्छुक हैं, तथा ज्ञापन पर हमने निम्नलिखित साक्षियों की गवाही में अपने हस्ताक्षर किए हैं:

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मा.श्री बालेन्दु शुक्ल	मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन	
2.	श्री पी.के. मेहरोत्रा आई.ए.एस.	अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग	
3.	श्री ए.के. अग्रवाल आई.ए.एस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग	
4.	श्री शेखर दत्त आई.ए.एस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिमजाति कल्याण विभाग	
5.	श्री सुदीप बेनर्जी आई.ए.एस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग	
6.	श्री सी.पी. भार्गव आई.ए.एस.	अपर सचिव एवं प्रभारी आयुक्त उच्च शिक्षा	
7.	डॉ.यू.एस. पाठक	संस्थान के संचालक	

7. हम अधोहस्ताक्षरित यह प्रमाणित करते हैं, कि ऊपर के हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर हमारे सामने अंकित किए हैं। यह भी घोषणा करते हैं कि हम समिति के सदस्य नहीं हैं:

1. डॉ.आर. रत्नेश — पता–उपसचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. श्री डी.पी.भट्ट — पता–अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति, भोपाल, मध्यप्रदेश, के विनियम सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6(3) के अधीन

1. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभिष्ट न हो तोः

(क) ''समिति'' से तात्पर्य है, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान समिति, भोपाल।

(ख) ''संस्थान'' से तात्पर्य है, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।

(ग) ''निधि'' से तात्पर्य है, समिति की निधि।

(घ) ''राज्य शासन'' से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश राज्य शासन।

(ङ) ''अध्यक्ष'' एवं ''उपाध्यक्ष'' से तात्पर्य है, क्रमानुसार समिति की सामान्य परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

(च) ''संचालक'' से तात्पर्य है, संस्थान के संचालक।

(2) यदि प्रसंग में इंगित न हो तोः

एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन निहित होगा, तथा पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग निहित होगा।

2. सामान्य परिषद्

समिति की सामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क्र.	पद	नाम
1	अध्यक्ष	मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, भोपाल
2	उपाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4	सदस्य	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
6	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, भोपाल
7	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
8	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, भोपाल
9	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल
10	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, भोपाल
11	सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल
12	सदस्य	आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल
13	सदस्य	तीन लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद जो उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे
14	सदस्य सचिव	संस्थान के संचालक

3. समिति की सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् –

(क) संस्थान की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण;

(ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय–समय पर पुनरीक्षण;

(ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण;

(घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना;

(ङ) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना;

(च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना;

(छ) कार्यसमिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण–पत्रों को संस्थित करना; एवं

(ज) आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

4. सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया

(क) साधारण सामान्य परिषद् की बैठक साल में एक बार होगी। यदि अध्यक्ष उचित समझें तो विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना

प्रत्येक सदस्य को पंजीयित डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।

(ग) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाएँगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।

(ङ) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक–एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(च) प्रत्येक बैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर अग्रेषित की जाएगी।

5. सदस्यों की पंजी

(क) समिति की सामान्य परिषद् द्वारा, संस्थान में, अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वाक्त प्रकार से हस्ताक्षर किए बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जाएगा,

(ख) सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा। यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उक्त पंजी में मान्य होगा।

6. सदस्यों का कार्यकाल

(क) समिति की सामान्य परिषद् की सदस्यता यदि पदेन हो तो, ऐसे सदस्य की सदस्यता, उसके उक्त पद से अलग होने पर स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

(ख) ऊपर (क) में दर्शाए गए नियम के बावजूद समिति में पदेन सदस्य की सदस्यता राज्य सरकार की सहमति तक जारी रखी जा सकेगी।

(ग) पदेन सदस्यों के अलावा समिति के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता उसकी नियुक्ति/मनोनयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगी परंतु ऐसे सदस्य को पुनर्नियुक्ति/पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी।

7. सदस्यता नियंत्रण एवं समाप्ति

(क) वह अधिकारी जो किसी व्यक्ति को सामान्य परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्ति/मनोनीत करता है, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नियुक्त/मनोनीत कर सकता है, एवं

(ख) यदि समिति की सामान्य परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, वह विक्षिप्त हो जाए, दिवालिया हो जाए या उस पर नैतिक पतन का आरोप हो, तो वह राज्य शासन द्वारा, समिति के अध्यक्ष की राय पर समिति की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा।

8. समिति की सामान्य परिषद् का कोई सदस्य (पदेन सदस्य के अतिरिक्त) अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है जिसके लिये उसे समिति के अध्यक्ष को आवेदन देना होगा और यह त्याग पत्र स्वीकृति के दिनांक से लागू माना जाएँगा।

9. समिति की सामान्य परिषद में हुई किसी भी आकस्मिक पद रिक्ति की परिपूर्ति, नियुक्ति अथवा मनोनयन से, उपर्युक्त प्राधिकार द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए की जाएगी।

10. सामान्य परिषद् किसी भी रिक्त पद या त्रुटिपूर्ण नियुक्ति, मनोनयन या चयन के बावजूद अपने क्रियाकलाप में सक्रिय रहेगी एवं उसकी किसी कार्यवाही पर उपर्युक्त कारणों से कमी पर कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा।

11. **अध्यक्षः** मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। वे समिति की सामान्य परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे एवं उन्हें संचालित एवं नियंत्रित करेंगे।

12. **उपाध्यक्षः** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेंगे।

13. सामान्य परिषद् के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राधिकारी का गठन विशिष्ट क्रियाकलापों हेतु किया जाएगाः

(क) कार्यसमिति,

(ख) अकादमिक परिषद,

(ग) अध्ययन मण्डल,

(घ) वित्त समिति,

(ङ) अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, एवं

(च) ऐसी सभी समितियाँ जिनकी नियुक्ति समय–समय पर कार्यसमिति द्वारा की जाए।

14. कार्यसमिति

(1) संस्थान की कार्यसमिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगेः

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,

(ग) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,

(घ) सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,

(ङ) एक शिक्षाविद् एवं एक उद्योगपति जिनका मनोनयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा, एवं

(च) संस्था का संचालक

(2) (क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग कार्यसमिति के अध्यक्ष होंगे। संस्थान के संचालक कार्यसमिति के सदस्य–सचिव होंगे।

(ख) नियम 14 (1) (ङ) के अन्तर्गत सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष की होगी, परन्तु अन्य कोई कारण न होने पर इन सदस्यों को पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी।

(ग) कार्यसमिति की सदस्यता निरस्त मानी जाएगी यदि सदस्य मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए, दिवालिया हो जाए या नैतिन पतन का अपराधी पाया जाए।

(घ) कार्यसमिति की सदस्यता से, मनोनीत सदस्य द्वारा, त्याग पत्र अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होने तक वह लागू नहीं माना जाएगा, एवं

(ङ) समय से पूर्व ही यदि मनोनीत वर्ग के सदस्यों में त्याग पत्र या किसी अन्य कारण कोई स्थान रिक्त हो जाए तो उपर्युक्त प्राधिकार द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए मनोनयन किया जा सकेगा।

15. कार्यसमिति की कार्य पद्धति

(क) कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी,

(ख) कार्यसमिति की बैठक के लिए गण–पूर्ति (कोरम) तीन सदस्यों की होगी, परन्तु स्थगित बैठक के लिए कोई गण–पूर्ति आवश्यक नहीं होगी,

(ग) कार्यसमिति की बैठक बुलाए जाने की सूचना में बैठक की तिथि, समय व स्थान का उल्लेख होगा। सूचना कम से कम सात दिन पहले प्रेषित की जानी चाहिए किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा सकेंगे,

(घ) कार्यसमिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होती रहेंगी परन्तु प्रत्येक छः माह में एक बैठक अवश्य होगी, एवं

(ङ) अध्यक्ष सहित कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा परन्तु किसी प्रकरण में बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

16. कार्यसमिति के क्रियाकलाप

(क) संस्थान के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ के लिए सेवा शर्त, पारिश्रमिक तथा यात्रा एवं अन्य भत्ते तय करना,

(ख) शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति/चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना एवं तदनुसार नियुक्तियाँ करना,

(ग) उपविधियों के आधार पर शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ को नियंत्रित एवं अनुशासित रखना,

(घ) संस्थान की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना, उनका विनियोजन करना व उनका प्रबंध करना,

(ङ) अकादमिक परिषद् एवं वित्त समिति की सलाह प्राप्त कर छात्रों द्वारा संस्थान को देय शुल्कों/राशियों की सामान्य परिषद् के समक्ष अनुशंसा करना।

(च) संस्थान के सुचारू रूप से संचालन के लिए संस्थान के संचालक को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त करना,

(छ) उपाधियों, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना,

(ज) छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद् से अनुशंसा करना,

(झ) उपाधियों तथा उपाधि–पत्रों के लिए अध्ययन के नये कार्यक्रमों का अनुमोदन करना,

(ण) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना,

(ट) अकादमिक परिषद् की संस्तुति पर प्रदेश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की मानक एवं उत्प्रेरक भूमिका को सुनिश्चित करने की पद्धतियों का अनुमोदन करना,

(ठ) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना एवं अन्य सभी क्रियाकलापों का अनुमोदन करना, एवं

(ड) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधन विरचित करना एवं उनका अनुमोदन करना।

17. संचालक

(क) संचालक संस्थान का प्रधान अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी होगा एवं संस्थान के सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं अकादमिक कार्य संपादित करेगा। वह समिति का सचिव भी होगा।

(ख) संचालक की नियुक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य व अनुभव के आधार पर सामान्य परिषद् द्वारा इस उद्देश्य के लिये गठित उच्चस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर विचार करके उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।

(ग) समिति के पंजीयन के दिनांक को कार्यरत संचालक को इस नियम के अन्तर्गत नियुक्त माना जाएगा।

18. अकादमिक परिषद्

(क) संरचनाः

(1)	संचालक	अध्यक्ष
(2)	संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3)	शैक्षणिक स्टॉफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक जिनका मनोनयन संचालक द्वारा किया जाएगा।	सदस्य
(4)	कार्यसमिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर के कम से कम चार विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो।	सदस्य
(5)	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि।	सदस्य
(6)	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत राज्य शासन का एक प्रतिनिधि जिसे कम से कम बारह वर्ष का स्नातक स्तर का एवं तीन वर्ष का स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन का अनुभव हो।	सदस्य
(7)	संचालक द्वारा मनोनीत एक शिक्षक।	सदस्य–सचिव

(ख) सदस्यों की पदावधि : मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(ग) बैठकें : संचालक, वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(घ) कृत्य : अकादमिक परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात

(1) अध्ययन–मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना तथा इन प्रस्तावों को यथावत अथवा किन्हीं परिवर्तनों के साथ अनुमोदन करना, किन्तु जहाँ अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो उसे ऐसे प्रस्तावों को पुर्नविचार के लिए संबधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा;

(2) संस्थान में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र/छात्राओं के प्रवेश से संबंधित नियम बनाना;

(3) परीक्षाओं के संचालन के लिये नियम बनाना;

(4) संस्थान के विद्यार्थियों की शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया की पहल करना;

(5) खेलकूद तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदान के उचित रखाव एवं संचालन के लिए नियम बनाना;

(6) कार्यसमिति को उपाधियों तथा उपाधि पत्रों के लिए अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिए अनुशंसा प्रेषित करना;

(7) कार्यसमिति को छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, परितोषकों एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदान करने के लिए नियम बनाना;

(8) कार्यसमिति को प्रदेश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की मानक एवं उत्प्रेरक भूमिका सुनिश्चित करने की पद्वतियों के विषय में परामर्श देना, एवं

(9) कार्यसमिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना।

19. अध्ययन–मण्डल

(क) संरचनाः

(1)	संबधित विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
(2)	विभाग के अन्य शिक्षक जिन्हें पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो	सदस्य
(3)	अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ जो संस्थान से बाहर के हों	सदस्य
(4)	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ	सदस्य
(5)	*अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष, संस्थान के संचालक के अनुमोदन पर निम्नानुसार सहयोजन कर सकता है:*	
	(i) जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो संस्था से बाहर के विशेषज्ञ	सदस्य
	(ii) संस्थान के अन्य शिक्षकवृन्द	सदस्य

(ख) सदस्यों की पदावधि : मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(ग) बैठकें : विभिन्न विभागों के अध्ययन–मण्डल की बैठकों का कार्यक्रम संस्थान के संचालक द्वारा निर्धारित किया जावेगा। बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जा सकेगी, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(घ) कृत्य : संस्था के प्रत्येक विभाग के अध्ययन–मण्डल के कृत्य निम्नानुसार होंगे:

(1) अकादमिक परिषद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से संस्थान के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण,

(2) नवोन्मेषकारी शिक्षण पद्धतियाँ व मूल्यांकन प्रविधियाँ प्रस्तावित करना,

(3) संचालक को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(4) शोध, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/संस्थान की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन।

20. वित्त समिति

संरचना :

(1)	संचालक	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
(3)	विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	संचालक द्वारा दो वर्षो के लिए मनोनीत संस्था का एक शिक्षक।	सदस्य–सचिव

वित्त समिति कार्यसमिति की सलाहकार होगी और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

पद निर्माण के प्रस्ताव, पूंजी एवं अन्य व्यय, वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्य समिति को अनुशंसा हेतु अग्रेषित करना वित्त समिति के प्रमुख कार्य होंगे।

21. अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड

(क) संरचनाः

(1)	संचालक	अध्यक्ष
(2)	संचालक द्वारा मनोनीत दो विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3)	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ	सदस्य
(4)	कार्यसमिति द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ जो संस्थान/विश्वविद्यालय से बाहर का हों।	सदस्य
(5)	संचालक द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	सदस्य–सचिव

(ख) सदस्यों की पदावधि : मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(ग) बैठकें : बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(घ) कृत्य : बोर्ड के कृत्य निम्नानुसार होंगेः

(1) संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अकादमिक योजना बनाना,

(2) संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अकादमिक योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना, एवं

(3) संस्थान की अकादमिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना।

22. संकाय

(1) संस्था में सुदृढ़ अकादमिक उपलब्धि एवं समुचित अध्यापन अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक/मानसेवी शिक्षक होंगे, एवं

(2) संस्थान के शैक्षणिक विभागों के लिए आवश्यक पद पूर्णकालिक होंगे तथा इन पदों पर नियुक्ति/पदस्थापना मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में विधिवत् चयनित व नियुक्त व्यक्तियों में से उनकी उपयुक्तता के आधार पर की जावेगी।

23. आवासीय संस्थानः समयावधि में संस्थान एक आवासीय संस्थान होगा।

24. वित्त व्यवस्था

(1) संस्था अपनी वित्त व्यवस्था के लिए एक निधि स्थापित करेगा जो संस्थान–निधि कहलायेगी। निम्नलिखित संस्थान–निधि के भाग होंगे या जो इसमें संदत्त किये जायेंगेः

(क) संस्थान की निधि स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई रू. दो करोड़ की राशि। इसका उपयोग कॉर्पस के रूप में किया जायेगा।

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी नियामक निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान,

(ग) न्यास, वसीयतें, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्टस) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो,

(घ) समस्त स्त्रोतों से हुई संस्था की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है, एवं

(ङ) संस्था द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियाँ।

(2) संस्था की वित्त व्यवस्था नीचे लिखे मार्गदर्शी सिद्वान्तों पर आधारित होगीः

(क) संस्थान को जितने शैक्षणिक स्टॉफ की आवश्यकता होगी उतने पद संस्थान हेतु उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शासन द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे। इन स्वीकृत पदों पर कार्यरत् व्यक्तियों का वेतन शासकीय कोषालय से संचालक द्वारा मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में आहरित किया जा सकेगा,

(ख) किसी अकादमिक सत्र में शिक्षकों की पदस्थापना की संख्या से अधिक शैक्षणिक स्टॉफ की आवश्यकता होने पर यह आवश्यकता संस्थान के द्वारा शासन की पूर्वानुमति से मानसेवी आधार पर पूरी की जावेगी तथा इनके मानदेय का भुगतान संस्थान अपने स्वयं के स्त्रोतो से करेगा।

(ग) संस्थान के परिसर के लिए आवश्यक भूमि, परिसर व भवन तथा अन्य अधोसंरचना के विकास के लिए आवश्यक धनराशि संस्थान से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके राज्य शासन द्वारा दी जाएगी,

(घ) राज्य शासन से संस्थान को प्राप्त रू. दो करोड़ के कॉर्पस से प्राप्त आय तथा फीस से प्राप्त आय से संस्था के शेष सभी देयों को पूरा किया जाएगा।

(ड) संस्थान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों से एक समान फीस ली जाएगी। कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के फीस की प्रतिपूर्ति इन वर्गों के

कल्याण के लिए गठित संबंधित शासकीय विभागों द्वारा देय छात्रवृत्ति से होगी।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, को संतुष्ट करते हुए उनसे यह अनुरोध किया जाएगा कि संस्थान को न केवल उनकी सामान्य व्यवस्था के तहत पुस्तकों, उपकरणों, स्टॉफ, और अकादमिक भवनों के लिए अनुदान देवें बल्कि वो भी संस्थान के कॉर्पस के लिए यथोचित राशि देवें, एवं

(छ) संस्थान अन्य वित्तीय एजेंसियों से भी वित्त व्यवस्था प्राप्त कर सकेगा व सामान्य परिषद् की स्वीकृति से संस्था अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन भी जुटा सकेगा।

25. समिति की संपत्ति

समिति की सभी जगम तथा स्थावर संपत्ति मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग में निहित रहेगी। इस संपत्ति का संधारण तथा इसमें विस्तार, सुधार एवं निर्माण कार्यसमिति की अनुमति से संचालक द्वारा कराया जा सकेगा।

26. समिति की निधि

समिति की निधि, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 (क्रमांक–2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा कार्यसमिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाई गई उपविधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

27. उप–विधियाँ

समिति के उद्देश्यों तथा इस विनियम के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय पर उप–विधियाँ बनाई जा सकेंगी, अर्थातः

(1) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा भुगतानों का निर्धारण,

(2) छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण–पत्रों का संस्थापन,

(3) स्टॉफ के लिए सेवा शर्तें, पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्ते का निर्धारण,

(4) स्टॉफ की नियुक्ति/चयन प्रक्रिया,

(5) स्टॉफ में अनुशासन बनाए रखने की प्रक्रिया,

(6) वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन,

(7) उपाधि तथा उपाधि पत्रों के लिए अध्ययन के कार्यक्रम,

(8) प्रदेश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की मानक एवं उत्प्रेरक भूमिका का निर्वहन,

(9) अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र/छात्राओं का प्रवेश,

(10) परीक्षाओं का संचालन,

(11) खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों तथा खेल के मैदानों का रख–रखाव एवं संचालन, एवं

(12) अन्य कोई विषय जिस पर उपविधि विनियम के अनुसार बनाना आवश्यक हो।

28. उपविधि बनाने की रीति नीचे लिखे अनुसार होगीः

(1) उपविधि का प्रारूप या बनाई गई उपविधि में संशोधन का प्रारूप संचालक द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा एवं उसे कार्यसमिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अंगीकृत किया जाएगा,

(2) समिति की सभी उप–विधियों की संस्थान के संचालक द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संस्थान के कार्यालय में रखी जाएंगी।

29. विविध

समिति की ओर से एवं समिति के लिए किए गए सभी अनुबंध समिति सचिव द्वारा समिति के नाम पर क्रियान्वित किए जाएंगे। समिति द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होंगे।

..... ||| .....

संलग्नक-1

प्रमाण पत्र

हम सभी अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त विवरण **उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान** समिति **भोपाल** के विनियमों का सही एवं संपूर्ण विवरण है।

सचिव
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता
संस्थान, भोपाल
DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016.

अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
(वी. आर. नायडू)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
(Ajeet Kumar)
Commissioner
Higher Education, Madhya Pradesh

असिस्टेन्ट कमिश्नर
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

संलग्नक-2

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 6425/98

यह प्रमाणित किया जाता है कि **उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान** समिति जो **भोपाल**, तहसील **हुजुर** जिला **भोपाल** में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 14) के अधीन **7.10.98** को पंजीयित की गई है।

दिनांक सात माह अक्टूबर सन् 1998

(शरद चन्द्र तिवारी)
समितियों के रजिस्ट्रार

Designed & Printed at Examination Section, IEHE, Bhopal